

प्ररूप — 13

नियम 24 (2) देखिये

मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारबार कारने की अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में ,

प्रदेशिक परिवहन अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारबार चलाने के अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के
लिए आवेदन करता है।

1. आवेदक का पूरा नाम
2.का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. पता
4. कारबार का स्थान
5. विद्यमान अनुज्ञाप्ति सं.....
6. जारी किए जाने की तारीख
7. विधिमान्यता की अवधि
8. क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञाप्ति की समाति में पूर्व किया गया है, तो विलम्ब के कारण
9. क्या पूर्व अनुज्ञाप्ति किसी कारणवश निलम्बित/रद्द की गई थी, उसके ब्यौरे जैसे कि निलम्बन
की तारीख, ऐसे निलम्बन/रद्दकरण के कारण निलम्बन/रद्दकरण के प्रतिसंहृत की तारीख।
10. मैंनेरूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर